

**न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद**  
**(बाल मुकुन्द असावा, आई०ए०एस०, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)**

**राजस्व अपील संख्या: 12/2024**

**दायर दिनांक: 02.04.2024**

**निर्णय दिनांक 08.11.2024**

**--:अनवान:--**

लेहरू पिता तोलीराम जी जाट आयु वयस्क पेशा काश्त निवासी देवपुरिया, पीपरडा  
तहसील व जिला राजसमंद **— अपीलार्थी**

**बनाम**

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, राजसमन्द तहसील व जिला राजसमंद  
**— रेस्पोंडेन्ट**

**अपील विरुद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार राजसमन्द प्रकरण संख्या 90 सन् 2023 ना. क.**  
**सरकार बनाम लेहरू निर्णय दिनांक 04.10.2023 से व्यथित होकर**  
**याचिका अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भु राजस्व अधिनियम 1956**

**उपस्थित :-**

- 1- श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता अपीलांत
- 2- श्री अनील बागोरा, राज०अधि०, रेस्पोंडेन्ट

**--: निर्णय ::--**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम देवपुरिया पटवार हल्का पीपरडा तहसील व जिला राजसमंद में स्थित खसरा संख्या 4078/2968 रकबा 0.6647, आराजी संख्या 4079/3123 रकबा 0.1052 एवं आराजी संख्या 3187/5 रकबा 0.4856 हैक्टेयर बिलानाम सिंचित भूमि स्थित है जिसमें से क्रमशः 0.0374, 0.0564 एवं 0.0971 हैक्टेयर भूमि पर अपीलार्थी का तथा उसके पिता का पिछले 50 वर्षों से कब्जा आधिपत्य चला आ रहा है। अपीलार्थी व उसके पिता ने इस भूमि को काबिल काश्त बना कर विकसित किया है तथा उक्त भूमि पर प्रत्येक वर्ष अपीलार्थी द्वारा फसल उपजाऊ की जा रही है लेकिन अपीलार्थी का नियमित कब्जा होते हुए भी उक्त भूमि प्रार्थी के नाम पर नियमन करने का आदेश जारी नहीं किया जाकर बेदखली का जो आदेश पारित किया है उसके विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथ्यों एवं विधि के विपरित होने से अपास्त होने योग्य है। उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में बिलानाम दर्ज है जिस पर अपीलार्थी व उसके पिता का 50 वर्षों से भी अधिक समय से कब्जा आधिपत्य चला आ रहा है लेकिन अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 91 की कार्यवाही करते हुए बेदखली का आदेश पारित कर दिया जाता है। अपीलार्थी व उसके पिता का इस भूमि पर सम्बत 2025 से निरन्तर निर्बाध रूप से कब्जा चला आ रहा है तथा यह कब्जा राजस्व रेकार्ड में दर्ज होता चला आ



9

रहा है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी उक्त भूमि अपने नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकन कराने का अधिकारी है। अपीलार्थी इस भूमि को अपने नाम पर नियमन कराने का अधिकारी है। उक्त भूमि के सटमा ही प्रार्थी की खातेदारी भूमि भी है जो इस भूमि से मिली हुई है। खातेदारी भूमि एवं यह भूमि संयुक्त रूप से एक ही चक के रूप में होकर प्रार्थी का कब्जा आधिपत्य चला आ रहा है। इसलिए प्रार्थी उक्त भूमि अपने नाम पर छोटी पट्टी के रूप में भी नियम 19, 20 राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1976 के प्रावधानों के तहत आवंटन कराने का अधिकारी है। प्रार्थी का व उसके पिता का सम्वत 2025 से नियमित कब्जा आधिपत्य चला आ रहा है और उसे कभी भी वैध रूप से बेदखल नहीं किया है, कब्जा प्रतिवर्ष दर्ज होता चला आ रहा है। धारा 91 की कार्यवाही के जरिये नियमित कब्जेधारी को बेदखल नहीं किया जा सकता है जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान राज्य बनाम पदमावती के मामले में यह सिद्धान्त प्रतिपादित कर रखा है। राज्य सरकार द्वारा भी बिलानाम भूमि पर नियमन करने परिपत्र क्रमांक प 6 (7)राज-4/77/2 दिनांक 11.01.2008 में सिवाय चक भूमियों पर दिनांक 15.07.1994 तक कृषि हेतु किये गये अतिक्रमणों को नियमन करने की जारी निर्देशों में नियमन की दिनांक 15.07.1994 से बढ़ा कर दिनांक 01.01.2000 तक कर दिया है इसके उपरान्त वर्ष 2008 से उक्त अवधि बढ़ा कर 2000 से 2008 कर दी गई है। प्रशासन गाँवों के संग अभियान में राज्य सरकार द्वारा इस अवधि की वृद्धि की जा चुकी है। प्रार्थी का सम्वत 2035 से अर्थात् सन् 1974 से पूर्व का कब्जा चला आ रहा है इसलिए प्रार्थी का मामला नियमन योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का कोई अवसर ही नहीं दिया है। केवल अपीलार्थी को विपक्षी द्वारा उपस्थिति दर्शाते हुए आलौच्य आदेश पारित किया है उसे अपना पक्ष रखने का व गवाह सबूत पेश करने का कोई अवसर ही नहीं दिया गया है ऐसी स्थिति में उक्त पारित किया गया आदेश न केवल विधि के विपरित है बल्कि प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के सर्वथा विपरित है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी का 50 वर्षों से कब्जा आधिपत्य होने पर भी अपीलार्थी के नाम पर भूमि आवंटन/नियमन करने बाबत कोई आदेश पारित न कर विधिक त्रुटि की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्य आदेश में अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का कोई अवसर नहीं दिया है। प्रथम सुनवाई पर ही जवाब साक्ष्य दस्तावेज सबूत पेश करने का अवसर दिये बगैर ही प्रकरण निर्णित कर दिया गया है जो न केवल विधि विरुद्ध है बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है और यह भी प्रमाणित होता है कि अधिनस्थ न्यायालय ने केवल नोटिस जारी कर औपचारिकता की है और पत्रावली में सीधे ही निर्णय पारित कर दिया है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने न्यायिक विवेक का उपयोग भी उक्त निर्णय पारित करने में नहीं किया है। केवल छपे हुए परफोरमें में नाम भरकर प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया है जो आदेश ही न्यायिक आदेश की परिभाषा में नहीं आता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश की जानकारी अपीलार्थी को पूर्व में कभी भी नहीं रही है। प्रथम बार जानकारी दिनांक 11.03.2024 को हुई। जिस पर अपीलार्थी ने उसी दिन नकल का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक उसी दिन दिनांक 11.03.2024 को नकल प्राप्त होने पर अपीलार्थी को उक्त आदेश की पूर्ण जानकारी हुई अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपील तैयार करा प्रस्तुत की जा रही है जानबुझ कर अपील पेश करने में लापरवाही नहीं की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरुद्ध है जिसे जानकारी से कभी भी चुनौती दी जा सकती है फिर भी मयाद माफी के लिए अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त फरमाया जावे तथा उक्त भूमि को अपीलार्थी के नाम नियमन करने का आदेश फरमाया जावे।



9

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन सूचना दी गई एवं अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोंडेंट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थिति दी।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण सन्तोषप्रद होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

अधिवक्ता अपीलांट के द्वारा बहस में अपील मेमो वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि राजस्व ग्राम देवपुरिया पटवार हल्का पीपरडा तहसील व जिला राजसमंद में स्थित खसरा संख्या 4078/2968 रकबा 0.6647, आराजी संख्या 4079/3123 रकबा 0.1052 एवं आराजी संख्या 3187/5 रकबा 0.4856 हैक्टेयर बिलानाम सिंचित भूमि स्थित है जिसमें से क्रमशः 0.0374, 0.0564 एवं 0.0971 हैक्टेयर भूमि पर अपीलार्थी का तथा उसके पिता का पिछले 50 वर्षों से कब्जा आधिपत्य चला आ रहा है। अपीलार्थी व उसके पिता ने इस भूमि को काबिल काश्त बना कर विकसित किया है तथा उक्त भूमि पर प्रत्येक वर्ष अपीलार्थी द्वारा फसल उपजाऊ की जा रही है लेकिन अपीलार्थी का नियमित कब्जा होते हुए भी उक्त भूमि प्रार्थी के नाम पर नियमन करने का आदेश जारी नहीं किया जाकर बेदखली का जो आदेश पारित किया है उसके विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथ्यो एवं विधि के विपरित होने से अपास्त होने योग्य है। उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में बिलानाम दर्ज है जिस पर अपीलार्थी व उसके पिता का 50 वर्षों से भी अधिक समय से कब्जा आधिपत्य चला आ रहा है लेकिन अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 91 की कार्यवाही करते हुए बेदखली का आदेश पारित कर दिया जाता है। अपीलार्थी व उसके पिता का इस भूमि पर सम्वत 2025 से निरन्तर निर्बाध रूप से कब्जा चला आ रहा है तथा यह कब्जा राजस्व रेकार्ड में दर्ज होता चला आ रहा है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी उक्त भूमि अपने नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकन कराने का अधिकारी है। अपीलार्थी इस भूमि को अपने नाम पर नियमन कराने का अधिकारी है। उक्त भूमि के सटमा ही प्रार्थी की खातेदारी भूमि भी है जो इस भूमि से मिली हुई है। खातेदारी भूमि एवं यह भूमि संयुक्त रूप से एक ही चक के रूप में होकर प्रार्थी का कब्जा आधिपत्य चला आ रहा है। इसलिए प्रार्थी उक्त भूमि अपने नाम पर छोटी पट्टी के रूप में भी नियम 19, 20 राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1976 के प्रावधानो के तहत आवंटन कराने का अधिकारी है। धारा 91 की कार्यवाही के जरिये नियमित कब्जेधारी को बेदखल नहीं किया जा सकता है जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान राज्य बनाम पदमावती के मामले में यह सिद्धान्त प्रतिपादित कर रखा है। राज्य सरकार द्वारा भी बिलानाम भूमि पर नियमन करने परिपत्र कमांक प 6 (7) राज-4/77/2 दिनांक 11.01.2008 में सिवाय चक भूमियो पर दिनांक 15.07.1994 तक कृषि हेतु किये गये अतिक्रमणो को नियमन करने की जारी निर्देशो में नियमन की दिनांक 15.07.1994 से बढ़ा कर दिनांक 01.01.2000 तक कर दिया है इसके उपरान्त वर्ष 2008 से उक्त अवधि बढ़ा कर 2000 से 2008 कर दी गई है। प्रशासन गाँवो के संग अभियान में राज्य सरकार द्वारा इस अवधि की वृद्धि की जा चुकी है। प्रार्थी का सम्वत 2035 से अर्थात सन् 1974 से पूर्व का कब्जा चला आ रहा है इसलिए प्रार्थी का मामला नियमन योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्य आदेश में अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का कोई अवसर नहीं दिया है। प्रथम सुनवाई पर ही जवाब साक्ष्य दस्तावेज सबुत पेश करने का अवसर दिये बगैर ही प्रकरण निर्णित कर दिया गया है जो न केवल विधि विरुद्ध है बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरित है और यह भी प्रमाणित होता है कि अधिनस्थ न्यायालय ने केवल नोटिस जारी कर औपचारिकता की है और पत्रावली में सीधे ही निर्णय पारित कर



Q


दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने न्यायिक विवेक का उपयोग भी उक्त निर्णय पारित करने में नहीं किया है। केवल छपे हुए परफोरमें में नाम भरकर प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया है जो आदेश ही न्यायिक आदेश की परिभाषा में नहीं आता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के प्रकरण को दिनांक 23.08.2023 को दर्ज किया एवं प्रथम पेशी दिनांक 04.10.2023 को ही प्रकरण में अपीलार्थी को अपना पक्ष/जवाब/साक्ष्य व सबूत पेश करने का अवसर नहीं देते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित कर बेदखली का आदेश दिया गया। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय भी पूर्व में निर्धारित टंकित प्रपत्र (प्रफोर्मा) में है। जो पृथक-पृथक निर्णय के लिए इस्तमाल किया गया है। जिससे प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो साक्ष्यो का विवेचन किया गया न ही अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया है। अतः उक्त परिस्थिति में मैं अपील अपीलांट को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.10.2023 को अपास्त करता हूँ।


### ::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार की जाकर तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.10.2023 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार, राजसमन्द को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाता है कि अपीलांट को शहादत, सबूत एवं सुनवायी का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण का पुनः नियमानुसार निस्तारण कर निर्णय पृथक से लिखा जाना सुनिश्चित करें।

  
(बाल मुकुन्द असावा)  
जिला कलक्टर  
राजसमंद

निर्णय आज दिनांक: 08.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(बाल मुकुन्द असावा)  
जिला कलक्टर  
राजसमंद